न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

बनाम

प्रतिवादी

1. तहसीलदार बाप

पुत्र दावद खां
वर्तमान निवासी भड़ला
बाप जिला जोधपुर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

एवं प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

नम्बर :- 100/2018

अधिवक्ता :-
राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 13.01.2020

निर्णय

वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा रकबा 95.19 बीघा में से 25 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट और से पहले से ही वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वज करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 51 रकबा 95.19 बीघा में से 25 ने उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढियों से चला आ रहा था उन्होंनें अपने जीवन काल में भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त भूमि का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादी ने उक्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों और खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादी उक्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। दी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार र ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु किया है। जिसमें वादी को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षो तक कब्जा काश्त नही रहने से देत भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने वादी को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद ने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद ण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इसी

Scanned by CamScanner

किये जाने योग्य है। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीढ़ियों से पुराना कब्जा काश्त है और वर्तमान उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उपनिवेशन है और उपनिवेशन नियमों तहत सरकारी भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को कब्जा खातेदारी दिये जाने के नियम है। वादी के नाम से समय समय पर खसरा पी-14 भी तैयार की गई है। जिससे साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि पर वादी का वाद दस्तावेजात से साबित है। प्रतिवादी ने वादी को मौके से बेदखल है इसलिए उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त वाद में सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश उक्त वाद में लागू नहीं होता है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी किया गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत प्रार्थी तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादी) अतिक्रमी है अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है। वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार प्राप्ति हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विनम्र सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चो तथा अनेक क्रियाओं के से होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोचित तथा दस्तावेज के अभाव में बिनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावाली फैसल शुमार नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 13.01.2020 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.01.20 12:19:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: